



# उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरावाला, देहरादून - 248001 दूरभाष : 0135-2685124, फ़ैक्स : 0135-2685137,

वेबसाइट : [www.uau.ac.in](http://www.uau.ac.in) ईमेल : [uauexam@gmail.com](mailto:uauexam@gmail.com)

पत्रांक: 3445 /उ0आ0वि0वि0 /2020

दिनांक : 24 मार्च, 2021

## बेवसाइट विशेष मॉप-अप चरण सम्बन्धित काउन्सिलिंग सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 17.03.2021 को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मॉप-अप काउंसिलिंग चरण सम्पन्न हो जाने के उपरांत आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयुष स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.2021 तक विस्तारित किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा निजी सम्बद्ध संस्थानों में सीटें रिक्त रहने की दशा में व्यापक छात्र-हित में निम्न कार्यक्रम अनुसार विशेष मॉप-अप चरण (अंतिम चरण) की काउन्सिलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाती है:-

क्र०स०	विशेष मॉप-अप चरण सम्बन्धित काउन्सिलिंग की तिथि	कार्यक्रम	अर्ह हेतु पात्रता	संस्थान में प्रवेश की तिथि
01	दिनांक 26.03.2021 (प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक)	1. काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु पंजीकरण 2. आवेदन शुल्क जमा किया जाना 3. समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन	<b>Cat./Sub-Cat- Marks</b> <b>UR/EWS-113</b> <b>OBC-087</b> <b>SC-087</b> <b>ST-087</b> <b>UR/EWS&amp;PH-099</b> <b>OBC &amp; PH-087</b> <b>SC&amp;PH-087</b> <b>ST&amp;PH-087</b>	आवंटित संस्थान में प्रवेश की तिथि 31.03.2021
02	दिनांक 26.03.2021 (अपराह्न 03:00 बजे तक)	काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा उपलब्ध सीटों पर आवंटन	उक्तवत काउंसिलिंग चरण में पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी।	अपराह्न: 03:00 बजे तक

(काउन्सिलिंग स्थल- प्रशासनिक भवन उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, निकट रेलवे स्टेशन, हरावाला, देहरादून।)

विशेष मॉप-अप चरण-2021 (अंतिम चरण) हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें :-

1. विशेष मॉप-अप चरण-2021 में काउन्सिलिंग पूर्णतया मैनुवल आयोजित की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होकर काउन्सिलिंग स्थल पर वांछित अभिलेखों/मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना होगा। इस काउंसिलिंग चरण के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में सम्बन्धित सत्र हेतु काउंसिलिंग का आयोजन नहीं किया जाएगा।

*(Handwritten signature)*

2. उक्त चरण की काउन्सिलिंग में Fresh Registration से पंजीकरण कराया जायेगा। काउन्सिलिंग चरण के माध्यम से पूर्व में परिसर/संस्थानों में प्रवेशित अभ्यर्थी इस काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित नहीं हो सकते। शेष अन्य अभ्यर्थियों (जिन्होंने पूर्व में आवंटित सीटों के सापेक्ष प्रवेश नहीं लिया अथवा काउन्सिलिंग प्रक्रिया में आवेदन किया गया) को इस चरण में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
3. संबन्धित चरण में समस्त सीटें अनारक्षित (UR) श्रेणी की होगी।
4. प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क के रूप में रूपया 2000/- (दो हजार रूपये मात्र) मूल्य का बैंक ड्राफ्ट (जो की वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के नाम देय हो) अथवा लेखा अनुभाग में नकद जमा कर प्राप्ति रसीद के साथ निर्धारित प्रपत्र पर पंजीकरण हेतु प्रस्तुत करेंगे। बिना आवेदन शुल्क जमा किये कोई भी अभ्यर्थी इस काउन्सिलिंग चरण में सम्मिलित नहीं होगा तथा आवेदन शुल्क वापस देय नहीं होगा।
5. उक्त चरण की काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों के स्वप्रमाणित छाया-प्रति एवं 02 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो सहित निम्नलिखित मूल अभिलेख साथ लेकर उपस्थित होना अनिवार्य होगा:-
  1. हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र (उत्तीर्ण)
  2. नीट-2020 प्रवेश पत्र एवं अंक पत्र
  3. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  4. उपश्रेणी प्रमाण-पत्र
  5. स्थाई निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र
  8. पहचान पत्र (आधार कार्ड)
  9. टी0सी0 एवं माग्रेसन

*W* 24/3/21

कुलसचिव/

सदस्य सचिव आयुष यु0जी0 काउंसिलिंग- 2021